राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

विविध प्रार्थना पत्र संख्या ......32 लगायत 36 / 2017..............................जिला...........जयपुर..

उनवान – मैसर्स पिंकसिटी बिल्डकोम प्रा.लि., जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राज.–I, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

खण्डपीठ कैम्प जयपुर
श्री के.एल.जैन, सदस्य
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

27 / 09 / 2017

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अलकेश शर्मा एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री एन.के.बैद उपस्थित।

यह पांचों विविध प्रार्थना पत्र, राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के संयुक्त आदेश दिनांक 22.08.2017 के निम्न तालिकानुसार बकाया राशि पर इस शर्त पर स्थगन प्रदान किया गया था कि अपीलार्थी आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगें, किन्तु अपीलार्थी द्वारा पर्याप्त जमानत (adequate security) के बजाय श्योरिटी बॉण्ड (surety bond) प्रस्तुत किये, जिनको स्वीकार नहीं कर अपीलार्थी को बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, के विरूद्ध कार्यवाही (coercive steps) करने हेतु नोटिस जारी किया है, जिससे क्षुब्ध होकर, प्रस्तुत किये गये हैं।

क्र.सं.	विविध प्रा. पत्र सं.	अपील संख्या	अवधि	स्थगन राशि
1.	32 / 2017	1153 / 2017	2012–13	3,42,568 / –
2.	33 / 2017	1154 / 2017	2013–14	11,25,330 / –
3.	34 / 2017	1155 / 2017	2014–15	12,13,084 / –
4.	35 / 2017	1156 / 2017	2015–16	24,79,874 / –
5.	36 / 2017	1157 / 2017	2016–17(29.09.16)	12,01,680 / –

उभयपक्षीय बहस पर विचार करने के पश्चात् यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जमानत पत्रों की बिना किसी आधार के अस्वीकार किया गया हैं, एवं उनकी आर्थिक स्थिति को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जमानत योग्य न मानने का कारण अंकित किये बिना ही बैंक गारन्टी चाही गई है, जबकि अपीलार्थी को स्वयं की हॉटेल भवन का मालिक होने से अवस्थिति को दृष्टि से प्रस्तुत जमानत अपर्याप्त प्रतीत नहीं होती है, फलतः न्यायहित में यह पीठ कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश प्रदान करती है कि वह श्योरिटी बॉण्ड (surety bond) स्वीकार करें तथा अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह इस निर्णय की प्राप्ति के तीन माह के भीतर आवश्यक रूप से उनके समक्ष लम्बित अपीलों का निस्तारण सुनिश्चित करें।

उक्त पांचों विविध प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य

(के.एल.जैन)
सदस्य